भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-135
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

फर्जी विश्वविद्यालय

†135. **श्री के. ई. प्रकाश:**
श्री अबू ताहेर खान:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने वर्तमान वर्ष के दौरान देश में कार्यशील 22 फर्जी विश्वविद्यालयों को चिह्नित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) यूजीसी द्वारा फर्जी विश्वविद्यालय के रूप में सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्यवार और स्ट्रीमवार कुल संख्या कितनी है;
(ग) सरकार द्वारा ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों में नामांकित छात्रों के लिए शिक्षा की निरंतरता और क्षतिपूर्ति या राहत सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(घ) सरकार और यूजीसी द्वारा छात्रों और अभिभावकों को ऐसे धोखाधड़ी वाले संस्थानों का शिकार होने से बचाने के लिए उनमें जागरुकता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या सरकार का भविष्य में ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन को रोकने के लिए कोई सख्त, राष्ट्रव्यापी नयाचार या निगरानी तंत्र आरम्भ करने या लागू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या मौजूदा मानदंड और नियामक निकाय देश में फर्जी विश्वविद्यालयों की समस्या से निपटने में सक्षम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च) फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेबसाइट https://www.ugc.gov.in/universitydetails/Fakeuniversity पर उपलब्ध है। वर्तमान में, इस सूची में 24 संस्थान हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों

का विषय है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों से इन संस्थानों को बंद करने हेतु कानूनी कार्रवाई करने और स्वयं को "विश्वविद्यालय" के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करके, डिग्री प्रदान करके और अपने नाम के साथ "विश्वविद्यालय" शब्द का उपयोग करके छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। यह भी अनुरोध किया गया कि यदि उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में और भी फर्जी विश्वविद्यालय हैं, जो यूजीसी की फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल नहीं हैं, तो केंद्र सरकार/यूजीसी को सूचित करें।

यूजीसी/सरकार द्वारा ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के विरूद्ध आम जनता, छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को सावधान करने के लिए सोशल मीडिया और यूजीसी वेबसाइट के माध्यम से सामान्य जागरूकता हेतु सार्वजनिक नोटिस जारी करने के अतिरिक्त, निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

i. सरकार के साथ-साथ यूजीसी ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे स्वयं को "विश्वविद्यालय" के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करने, डिग्री प्रदान करने और अपने नाम के साथ "विश्वविद्यालय" शब्द का उपयोग करके छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने में शामिल लोगों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करें।

ii. कई स्वयंभू संस्थानों/विश्वविद्यालयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं।

iii. अवैध डिग्रियां प्रदान करने वाले अनाधिकृत संस्थानों को कारण बताओ नोटिस/चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए हैं।

परिणामस्वरूप, वर्ष 2014 से अब तक 12 फर्जी विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए।

*****